



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21349

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए सं. - 3186 वर्ष 2026

माताफेर एवं एक अन्य

..... याची (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा
विभाग, उ. प्र. राज्य लखनऊ एवं 2 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता	: नीलेश कुमार यादव, अभय कुमार यादव
प्रत्युत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता	: मु.स्था.अ., प्रशांत कुमार सिंह

न्यायालय सं. -17

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार सं. 1 के विद्वान् अधिवक्ता श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह और विरोधी पक्षकार सं. 2 एवं 3 के विद्वान् अधिवक्ता श्री सत्यांशु ओझा को सुन ॥

2. प्रस्तुत याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:

(i) विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा 22.01.2026 को संशोधित के संबंध में, उस सीमा तक, जहां तक

याची को, 6ठे और 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के, जैसा रिट याचिका से संलग्नक सं. 1

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

में अंतर्विष्ट है, अनुसार न्यूनतम वेतनमान का बकाया से इन्कार करता है, उत्प्रेषण की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।

(ii) विरोधी पक्षकारों को आक्षेपित आदेश दिनांक 10.09.2025 को जैसा विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा 22.01.2026 को संशोधित किया गया था, उस सीमा तक जहां तक उक्त आदेश याची को 6ठे और 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार न्यूनतम वेतनमान का बकाया देने से इन्कार करता है, लागू न करने का आदेश देते हुए, परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।

(iii) विरोधी पक्षकारों को 6ठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार न्यूनतम वेतनमान का, विश्वविद्यालय में इसके लागू होने की दिनांक, अर्थात् 01.01.2006 से 7वें वेतन आयोग के लागू होने की दिनांक, अर्थात् 20.12.2016 तक के लिए, याचीगण को पहले से भुगतान की गई राशि की कटौती करने के पश्चात्, बकाया प्रदान करने का आदेश देते हुए, परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।

(iv) याचीगण को 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, उसके लागू होने की दिनांक अर्थात् 20.12.2016 से आज दिनांक 24.03.2025 तक, पहले से भुगतान की गई सभी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राशियों की कटौती करने के पश्चात्, न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का विरोधी पक्षकारों को आदेश देते हुए, परमादेश की प्रकृति की एक रिट आदेश या निदेश जारी किया जाए।

3. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण को दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें न्यूनतम वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसके परिणामस्वरूप, रिट याचिका सं. 30568 वर्ष 2019 "मुन्ना सिंह एवं अन्य बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य" दाखिल की गई थी, जिसका निस्तारण निर्णय और आदेश दिनांक 25.3.2025 के माध्यम से, रिट याचिका सं. 692 वर्ष 2025, 'राम किशोर यादव एवं अन्य बनाम उ. प्र. राज्य द्वारा इसके प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, लखनऊ एवं अन्य' में पारित निर्णय के निबंधनों में किया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि वेतनमान का भुगतान सातवें वेतन आयोग के अनुसार किया गया था, किन्तु छठे और सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसलिए, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

रिट ए सं. 30568 वर्ष 2019 में पारित आदेश दिनांक 25.3.2025 निम्नवत् पठित है:

1. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता, राज्य सरकार के विद्वान् स्थायी अधिवक्ता, और विश्वविद्यालय के विद्वान् अधिवक्ता श्री सत्यांशु ओझा को सुन ॥

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान रिट -ए सं. 692 वर्ष 2025, राम किशोर यादव एवं अन्य बनाम उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, लखनऊ एवं 2 अन्य में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21.01.2025 की ओर आकर्षित किया है, जो निम्नवत् है:-

"1. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता, प्रत्युत्तरदाता सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थायी अधिवक्ता और प्रत्युत्तरदाता सं. 2 एवं 3 के विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार सिंह को सुना।

2. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं की सहमति से, यह रिट याचिका अंतिम रूप से विनिश्चित की जा रही है।

3. इस मामले में अंतर्ग्रस्त संक्षिप्त विवाद यह है कि, यद्यपि याचीगण को, याचिकाओं के एक समूह, मुख्य याचिका रिट याचिका सं. 1814 वर्ष 2017 (एस एस), शीर्षक हनुमान प्रसाद पांडेय एवं 12 अन्य बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.05.2019 के अनुसरण में, जिसकी एक प्रति इस याचिका के संलग्नक-5 का भाग है, छठे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया गया है, फिर भी उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान प्रदत्त नहीं किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

4. याचीगण का तर्क है कि उपर्युक्त विवाद की परीक्षा इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा विशेष अपीलों के एक समूह, मुख्य विशेष अपील सं. 435 वर्ष 2018, शीर्षक चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं 2 अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद पांडेय एवं 20 अन्य, 12.07.2018 को विनिश्चित, जिसकी एक प्रति याचिका का संलग्नक-11 है, में पहले ही की जा चुकी है, फिर भी, प्रत्युत्तरदाता विश्वविद्यालय ने, न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने से संबंधित, सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदत्त नहीं किया है, और इसलिए यह याचिका है।

5. इसके उत्तर में, प्रत्युत्तरदाता सं. 2 एवं 3 के विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (उपर्युक्त) के वाद में इस न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय, किसी अन्य विश्वविद्यालय के संबंध में था, न कि उस विश्वविद्यालय से जिसमें याचीगण कार्यरत हैं। तथापि, उन्होंने इस बात विवाद नहीं किया है कि उपर्युक्त निर्णय में, खंडपीठ ने वास्तव में दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारियों को भी, जो सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अधीन दिए गए वेतनमान के लिए अधिकृत हैं, नियमित कर्मचारियों के समान ही न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने का निदेश दिया था।

6. विरोधकारी पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, यह स्पष्ट होता है कि वाद के पूर्ववर्ती चरण में, इस न्यायालय ने निर्णय और

आदेश 15.05.2019 द्वारा प्रत्युत्तरदातागण को, याचीगण को तब तक न्यूनतम वेतनमान “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

भुगतान करने का निदेश दिया था, जब तक वे सेवा में नियमित नहीं किए जाते हैं। इसके अनुसरण में, याचीगण को छठे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान दिया गया है। तथापि, उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। मामले के इस पहलू की परीक्षा इस न्यायालय की खंडपीठ ने चंद्र शेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (उपर्युक्त) के वाद में की है, जिसमें खंडपीठ ने निर्णीत किया है कि न्यूनतम वेतन, वास्तव में, कर्मचारी द्वारा नियोजक को विक्रय किए गए श्रम का परिमाणन मात्र है, और कि यह भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(घ) सपठित अनुच्छेद 14 और 16 के अधीन प्रतिष्ठापित समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए।

7. संयोगवश, चंद्र शेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (उपर्युक्त) के वाद में खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध दाखिल वि.अ.या., निर्णय और आदेश दिनांक 21.11.2024 द्वारा खारिज कर दी गई है, जिसकी एक प्रति याचिका का संलग्नक-12 है।

8. अन्यथा भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सभा शंकर दुबे बनाम प्रभागीय वन अधिकारी एवं अन्य - [2019 (160) एफ एल आर 90] के वाद में, पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य - (2017) 1 एस सी सी 148 के वाद में दिए गए अपने पूर्ववर्ती निर्णय पर विचार करने के बाद, निर्णीत किया है कि अस्थायी कर्मचारी, उन न्यूनतम वेतनमानों पाने के लिए अधिकृत हैं, जो उसी पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों को लागू होते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. अतः, सभा शंकर दुबे (उपर्युक्त) और जगजीत सिंह (उपर्युक्त) के वादों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि, और चंद्र शेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (उपर्युक्त) के वाद में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचीगण को, स्वीकृत रूप से छोटे वेतन आयोग के अनुसार नियमित न्यूनतम वेतनमान दिया गया है, परिणामतः प्रत्युत्तरादातगण के पास सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान न देने का कोई कारण नहीं है।

10. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। प्रत्युत्तरादातगण को, याचीगण को सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान, जैसा उक्त पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों को मिल रहा है। भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक याचीगण को नियमों के अनुसार सेवा में नियमित नहीं कर दिया जाता है।

11. प्रत्युत्तरदातागण इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश का अनुपालन करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

12. प्रत्युत्तरदातागण, नियमों के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के भीतर छठे और सातवें वेतन आयोग के आधार पर बकाया राशि के भुगतान पर भी विचार करेंगे, यदि इसमें कोई विधिक बाधा न हो।"

3. याचीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने कहा है कि वर्तमान विवादक समान प्रकृति का है, इसलिए, राम किशोर यादव (उपर्युक्त) में पारित उपर्युक्त आदेश का लाभ वर्तमान याचीगण को दिया जा सकता है।

4. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने और राम किशोर यादव (उपर्युक्त) के मामले में पारित आदेश दिनांक 21.01.2025 का परिशीलन करने के बाद, मैं एतद्वारा इस रिट याचिका को, राम किशोर यादव (उपर्युक्त) के मामले में पारित आदेश दिनांक 21.01.2025 के निबंधनों में यह रिट याचिका अनुज्ञात करता हूं।

5. प्रत्युत्तरदातागण इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक से छह सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश का पालन करें।

6. प्रत्युत्तरदातागण, नियमों के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के भीतर छठे और सातवें वेतन आयोग के आधार पर बकाया राशि के भुगतान पर भी विचार करेंगे, यदि इसमें कोई विधिक बाधा न हो।

4. विरोधी पक्षकार सं. 2 एवं 3 के विद्वान् अधिवक्ता श्री सत्यांशु ओझा, याची की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि राम किशोर यादव (उपर्युक्त) के वाद में यह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

निर्देश था कि प्राधिकारी, नियमों के अनुसार, अनुबंधित अवधि के भीतर छठे और सातवें वेतन आयोग के आधार पर बकाया राशि के भुगतान पर भी विचार करेंगे, यदि इसमें कोई विधिक बाधा न हो। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि याची को सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान पहले ही दिया जा चुका है, किन्तु याची के अभ्यावेदन का विनिश्चय करते हुए बकाया राशि के भाग को अस्वीकार कर दिया गया है। वह **हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह एवं एक अन्य**, (2017) 4 **सुप्रीम कोर्ट केसेस** 587 में प्रकाशित, विनिश्चय पर भी विश्वास करते हैं और निवेदन करते हैं कि लाभ केवल निर्णय की दिनांक से ही दिए जा सकते हैं, इसलिए याचिका खारिज की जाने योग्य है।

5. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करते हुए, आवेदन की अंतर्वस्तु और अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि याची एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दाखिल रिट ए सं. 30568 वर्ष 2019 में, सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान के भुगतान का निर्देश दिया गया था, और अग्रेतर निर्देश दिया गया था कि छठे और सातवें वेतन आयोग के आधार पर बकाया राशि के भुगतान के मामले पर भी, नियमों के अनुसार और अनुबंधित अवधि के भीतर विचार किया जाए, यदि इसमें कोई विधिक बाधा न हो। यह भी स्पष्ट है कि याची को सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान का लाभ पहले ही दिया जा चुका है, किन्तु बकाया राशि भाग का भुगतान करने से इस आधार पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इन्कार कर दिया गया है कि उक्त लाभ प्रदान करने के संबंध में कोई नियम नहीं है, और विरोधी पक्षकार सं. 2 एवं 3 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह संप्रेक्षित किया है कि लाभ केवल निर्णय की दिनांक से प्रदान किया जा सकता है, इसलिए, वर्तमान याचिका त्रुटिपूर्ण है और तदनुसार, खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

मार्च 25, 2026

गौरव/-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”